भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1976

जल भूतल परिवहन मंत्रालय
(परिवहन स्कंध)

दीपस्तंभ केन्द्रीय सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियम, 1976

(23.6.79 और 17.12.90 को संशोधित)

सा.का.नि. 1734–– भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** –– (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियम, 1976 है ।

(2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, ––

(क) "अधिनियम" से भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) अभिप्रेत है ।

(ख) "अध्यक्ष" से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(ग) "समिति" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति अभिप्रेत है ।

(घ) "सदस्य" से समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

(ड.) "सदस्य–सचिव" से समिति का सदस्य–सचिव अभिप्रेत है ।

3. **समिति का कार्यकाल** – समिति का गठन एक बार में दो वर्ष के लिए किया जाएगा तथा उसे समय–सीमा का 6 महीनों तक विस्तार किया जा सकता है, जब तक कि नई समिति का गठित हो जाए, जो भी पहले हो ।

*नोट : * प्रथम संशोधन जीएसआर संख्या 867 दिनांक 23.6.79 और द्वितीय संशोधन जीएसआर संख्या 977(असाधारण) दिनांक 17.12.90 पढ़े ।

4. **समिति का गठन** – समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलाकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय का सचिव, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत सरकार का समुद्री सलाहकार, पदेन;

(ग) जल भूतल परिवहन मंत्रालय के वित्त सलाहकार, पदेन;

(घ) भारत सरकार का मुख्य हाइड्रोग्राफर, पदेन;

(ड.) फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि;

(च) ऐसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधि;

(छ) इंडियन नेशनल शिप–ओनर्स एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि;

(ज) नौचालन जलयानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्रीय सरकार के द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि जिनमें से एक भारत के पश्चिमी तट से होगा और दूसरा पूर्वी तट से;

(झ) इन्टर–पोर्टस् कनसल्टेटिव आर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करने वाला केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि;

(ञ) संसद के दो सदस्य, जिनमें से एक लोक सभा का और दूसरा राज्य सभा का होगा;

(ट) दीपस्तंभ और दीपपोत का महानिदेशक, जो पदेन सदस्य–सचिव होगा ।

5. * (x x x x x x x x x)

6. **पदावधि** :– इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक सदस्य दो वर्ष के लिए पद धारण करेगा ।

परन्तु संसद सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए जब तक वह उस सदन का सदस्य बना रहता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से जो भी कम हो, पद धारण करेगा ।

7. **आकस्मिक रिक्तियां** :– सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, नामांकन या नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी और उस रिक्ति में भरने के लिए इस प्रकार नामांकित या नियुक्त सदस्य केवल उतनी ही अवधि के लिए पद धारण करेगा जितनी अवधि के लिए वह सदस्य, जिसका वह स्थान वह भरता है, यदि रिक्ति न हुई होती तो, पद धारण किए रहता ।

---

* केन्द्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियम, 1979 द्वारा हटाया गया है ।